17·43 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

PRODUCTION OF UREA

MR. DEPUTY-SPEAKER : We will now take up the Half-an-Hour Discuss on.

श्री कृष्ण कुमार गोयल : (कोटा) : उपाध्यक्ष जी 8 सितम्बर को प्रश्न संख्या 335 जो कि फर्टीलाइजर और खासकर यूरिया के बारे में था, उस का उत्तर मंत्री महोदय ने सदन में दिया था। जो प्रश्न व उत्तर हैं, वे इस प्रकार है—

"Will the Minister of Petroleum, Chemicals and Fertilizers be pleased to lay a statement showing :

(a) the present monthly production of urea fertilizer in the country, (factory-wise);

(b) he quantity of naptha used in the production of this urea ;

(b) whether it is a fact that the prices of urea have been increased in July-August 1981 and if so, the dates on which prices thereof were increased and to what extent ; and

(d) whether it is also a fact that at the time of increasing the prices thereof, the factories had huge stocks of urea and naptha and if so, the details thereof in respect of each factory ?

The reply was as follows :

"(a) and (b). The monthly production of urea during April-June, 1981 (factory-wise) and the consumption of naptha during this period is indicated in the enclosed Annexure I and Annexure II respectively.

(c) The price of urea has been increased from Rs. 2,000 per metric tonne to Rs. 2,350/- per metric tonne with effect from 11th July, 1981.

(d) The position regarding stocks of naptha and urea on the close of business on 10th July, 1981 is indicated in the closed Annexure-III".

इस उत्तर के द्वारा एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन सदन और देश में रहा। कई सवाल इसमें से उठे, उन का स्पष्टीकरण नहीं हो पाया। उन सारे सवालों पर आज मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा।

देश में हरित क्रान्ति आई। हरित क्रान्ति के लिये एक बड़ा फैक्टर खाद हो सकता था, फर्टीलाइजर हो सकता था। उस की कीमत देश में इतनी अधिक हो रही हैं जिसके कारण हरित क्रान्ति का लाभ केवल बड़े किसान ही उठा पाये, जो छोटे और मध्यम किसान हैं वह बढ़ती हुई कीमतों के कारण खाद का फायदा नहीं उठा सके। इसलिये हरित क्रांति बड़े लोगों तक ही सीमित रह गई।

हालत यह है कि जिस समय यूरिया की जरूरत होती है, डीलर्स के स्टाक्स से यह गायब हो जाता है, जिस समय सल्फेट की डी० ए० वी० की आवश्यकता होती है वह भी गायब हो जाता है, नतीजा यह होता है कि जितना ब्लैक इस खाद के अन्दर किसानों को मजबूरी में देना पड़ता है, आज तक सरकार की ओर से उस का कोई इलाज नहीं हो पाया है।

इतना ही नहीं, खाद में कैमिकल्स का जो अनुपात होना चाहिए, किसानों को दिए जाने वाले खाद में वह अनुपात बिल्कुल नहीं मिलता है, बल्कि उन्हें सब-स्टैण्ड र और एडल्ट्रेटिड खाद सप्लाई किया जाता है। इस तरह किसानों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है।

मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया था कि जुलाई में खाद की कीमतें बढ़ाई गई थीं। यूरिया की कीमत 2,000 रुपये पर मीट्रिक टन थी, उस को बढ़ा कर 2,350 रुपये पर मीट्रिक टन किया गया, यानी 350 रुपये पर मीट्रिक टन बढ़ा दिया गया। टी एस पी (ग्रेनुलेटिड) की कीमत 2200 रुपये पर मीट्रिक टन से बढ़ा कर 2600 रुपये पर मीट्रिक टन कर दी गई, यानी 400 रुपये पर मीट्रिक टन बढ़ा दिया गया। डी ए पी एक बहुत मंहगा खाद है, उस की कीमत 3050 रुपये पर मीट्रिक टन से बढ़ा कर 3600 रुपये पर मीट्रिक टन कर दी गई,

यानी 550 रुपये पर मीट्रिक टन बढ़ा दिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि जब अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पैट्रोल और पैट्रोलियम प्रोडक्टस् की कीमत नहीं बढ़ी, तो क्या कारण था कि खाद की कीमत—उस खाद की कीमत, जिस का प्रयोग हमारे अन्नदाता करते हैं, जिन के नाम पर हम और आप लोक सभा में बैठे हैं—350 रुपये से 550 रुपये पर मीट्रिक टन तक बढ़ा दी गई।

दूसरी जानकारी मैंने यह चाही थी कि जिस रोज खाद के भाव बढ़ाए गए, उस वक्त कारखानों के पास खाद का स्टाक कितना था। प्रश्न के दूसरे भाग में यह सूचना दी गई कि कारखानों के पास 4,32,947 टन खाद का स्टाक था। मैं मंत्री महोदय से यह स्पष्ट जानकारी चाहता हूं कि इस के अलावा कारखानों के वेयर-हाउसिज में कुल कितना स्टाक था। मेरी जानकारी है कि मंत्री महोदय ने जितना स्टाक बताया है, कारखानों के वेयर-हाउसिज और ट्रांसिट में—रेलगाड़ियों और ट्रकों में—उससे दस गुना ज्यादा स्टाक था। अगर 4,32,947 टन यूरिया पर 350 रुपये पर मीट्रिक टन के हिसाब से मुनाफा लगायें, तो कारखानों को केवल सरकार के घोषणा कर देने से 15,15,31,450 रुपये का अनुचित लाभ हुआ। जो स्टाक मैं बता रहा हूं, जो कारखानों के अलावा वेयर-हाउसिज में या रास्ते में था, जो नहीं बताया गया है, अगर उस के आधार पर हिसाब लगाएं, तो कारखानों को केवल सरकार की घोषणा के कारण 150 करोड़ रुपये से भी ज्यादा अनुचित लाभ हुआ। मैं आप से जानकारी चाहूंगा कि आपने जो सूचना अपने उत्तर में दी है उस के अलावा कारखानों के जो वेयर-हाउसेज थे और ट्रांसिट में जो खाद चल रही थी वह कितना स्टाक था? यह तो यूरिया के सम्बन्ध में सूचना चाहिए। इस के अलावा डी ए पी का जो प्राइस आपने बढ़ाई तथा दूसरी खादों की बढ़ाई वह कितनी कितनी बढ़ाई, किस लिए बढ़ाई और वह कौन सा मैटीरियल था जो कि सरकार उन को सप्लाई करती है जिसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट सरकार ने बढ़ाई है तो कितनी बढ़ाई है। और उस खाद का स्टाक कारखानों के पास कितना था?

यह बात तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि देश में खाद कारखानों द्वारा डीलर्स बनाए गए हैं एजेन्टस बनाए गए है। यह जो आपने आंकड़े खाद के दिए वह खाद तो खाद के कारखानों के मालिकों के पास थी लेकिन इस से कम से कम दस गुना स्टाक उन डीलर्स/स्टाकिस्ट्स और ऐजेन्टस के पास होगा। मैं जानना चाहूंगा कि उनके पास कुल कितना स्टाक था।

उपाध्यक्ष महोदय इस सरकार पर हंसी भी आती है और रोना भी आता है। यह प्राइस इंक्रीज की घोषणा 11 जुलाई को की गई थी। आपका जो फर्टिलाइजर कन्ट्रोल आर्डर है जो कि ऐसेंशियल कमोडिटीज ऐक्ट की धारा 3(ए) के अन्तर्गत बनाया गया है उसके अनुसार चाहे मैन्युफैक्चरर हो, चाहे डीलर हो, चाहे ऐजेन्ट हो या कोई भी हो जो कि खाद की सेल में डील करता हो उस को यह डिसप्ले करना लाजमी होगा कि उस के पास कितना स्टाक है। इस के अलावा फर्टिलाइजर कन्ट्रोल आर्डर की धारा (21) के अन्तर्गत प्रत्येक मैन्युफैक्चरर को रिकार्ड मेनटेन करना होगा तथा कन्ट्रोलर के पास रिटर्न सबमिट करनी होगी। मैं जानना चाहता हूं अब 11 जुलाई के बाद 2 महीने से अधिक हो गए हैं क्या सरकार के पास इस बात की जानकारी आ गई है कि जिस रोज खाद के भावों में वृद्धि की गई उस रोज कारखानों के मालिकों के पास, उनके डीलर्स के पास, स्टाकिस्ट्स के पास कुल कितनी खाद थी? मैं सरकार से इस बात की जानकारी चाहता हूं। अगर सरकार के पास यह सूचना नहीं है तो मंत्री जी कह दें कि सूचना नहीं है

[श्री कृष्ण कुमार चोपड़ा]

लेकिन इस से ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात इस देश के लिए और कोई हो नहीं सकती है ।

इस के अलावा जैसा मैं ने आप से कहा अगर यूरिया के अलावा इस में आप डी ए पी, फास्फेट और दूसरी खादों को भी जोड़ दें तो 500 से 1000 करोड़ का अनुचित लाभ सरकार की इस घोषणा के बाद खाद कारखानों के मालिकों, उन के स्टाकिस्ट्स, उन के डीलर्स और एजेन्टस को पहुंचा है । मैं मंत्री जी से इस बात का स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि जिस रोज सरकार ने कारखानों के पास खाद के स्टाक को सीज क्यों नहीं किया ? इसके अलावा डिफरेन्ट स्टेटस में जो उन के डीलर्स और एजेन्टस थे उन के स्टाक के सम्बन्ध में आप ने भिन्न भिन्न सरकारों को क्यों निर्देश नहीं दिए कि उन के पास जो स्टाक है उसको पहले के भाव पर ही बेचा जाए ? मेरी सूचना यह है कि सरकार ने उन कारखानों के पास और उन के डीलर्स तथा स्टाकिस्टस के पास जो खाद थी उस के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई हिदायत नहीं दी । उन का स्टाक जब्त नहीं किया गया बल्कि आपने उन को 350 से 550 रुपये प्रति टन के हिसाब से अनुचित लाभ पहुंचाया । दूसरी ओर किसान जो कि इस से सबसे अधिक प्रभावित थे उन तक आपने लाभ पहुंचने नहीं दिया । जो लाभ किसानों को मिलना चाहिए था वह लाभ उन को क्यों नहीं मिला—इस का स्पष्ट उत्तर आप मुझे देने की कृपा करें ।

तीसरा प्रश्न नेपथा का है । नेपथा के अलावा कुछ अन्य कैमिकल्ज भी हैं जिन को आप कारखानों को सप्लाई करते हैं । हमें बताया गया है कि नेपथा का 352 रुपये प्रति टन भाव बढ़ाया गया है । आप ने जो सूचना दी है उस के अनुसार 1,02,215 टन नेपथा कारखानों के मालिकों के पास था, इस नेपथा से दुगनी या तिगुनी खाद बनाई जाती है । यह जो पुराना माल कारखानों के पास था इस के दाम को बढ़ा कर इस का लाभ आपने किसानों को न दे कर कारखानों के मालिकों को क्यों दिया ? इस का हिसाब लगायें तो यह करोड़ों रुपयों में पहुंचता है । इस प्रकार यह साफ है कि सरकार की खाद मूल्य वृद्धि की घोषणा के कारण हिन्दुस्तान के गरीब किसानों को सरकार ने लगभग 1000 करोड़ रुपये तक का नुकसान पहुंचाया है जो कि वास्तव में किसानों को मि चाहिये था ।

उपाध्यक्ष महोदय, अब यह सरकार एक बहाना, एक एक्सक्यूज ले कर आयेगी कि हमारे यहां हम ने रिटेन्शन प्राइस पालिसी बना रखी है जिस के कारण कारखानों के मालिकों को कोई लाभ नहीं है । मैं जानना चाहता हूं—आप की रिटेन्शन प्राइस पालिसी क्या है ? क्या यह मराठे कमेटी की रिकमेण्डेशन के आधार पर बनाई गई है या फर्टिलाइजर इण्डस्ट्रीज की कोआर्डिनेशन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर है ? यह क्या फार्मूला है ? कारखाने के मालिक कहते हैं कि उन्हें खाद पैदा करने में बहुत नुकसान हो रहा है उनको उस नुकसान से बचाने के लिये सरकार ने रिटेन्शन प्राइस पालिसी चलाई है लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इस का फार्मूला क्या है ? क्या वही फार्मूला है कि 80 प्रतिशत उत्पादन के बाद उस का जो नेट-वर्क है उस पर 12 परसेन्ट का रिटर्न उस को अवेलेबिल हो ? क्या यही एन्श्योर करने के लिये फार्मूला बनाया गया है ? क्या हर एक कारखाने में हर एक खाद का रिटेन्शन प्रइस अलग होगा ? उसको कौन पे करेगा । कितनी कितनी रिटेन्शन प्राइस .....

PROF. N. G. RANGA (Guntur) : How long are we to go on ?

MR. DEPUTY SPEAKER : He is concluding.

श्री कृष्ण कुमार गोयल : यह तो आप के इंटरेस्ट की भी चीज है।

You are supposed to support the cultivators.

PROF. N.G. RANGA : This is a Half-An-Hour discussion. You have taken half an hour and others have also to speak.

MR. DEPUTY-SPEAKER : He has taken only 20 minutes.

SHRI KRISHNA KUMAR GOYAL : I am concluding.

मैं यह कहना चाहता हूं कि रिटेन्शन प्राइस पालिसी के आधार पर किस-किस कारखाने की किस-किस खाद के लिए क्या-क्या प्राइस आप ने तय की है और क्या उस के स्टाक के आधार पर आप तय कर चुके हैं ? आपका कहना है कि इस के ऊपर कुछ मिलेगा तो सरकार ले लेगी। पहले तो हमें प्राइस पालिसी पर ही डाउट है, किसी को अनुचित लाभ दिया जाता है, किसी को नहीं दिया जाता है, इस में काफी करप्शन है। लेकिन जो सब से बड़ा सवाल यह है—यह पैसा सरकार के पास आये या कारखाने के मालिक के पास जाये उस से मुझे मतलब नहीं है, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो कीमतें बढ़ाई गई हैं, उस पुराने स्टाक पर बढ़ी हुई कीमतों पर फायदा किसानों को क्यों नहीं दिया गया, किसानों को एक हजार करोड़ रुपये का नुकसान इस बंगलिंग के कारण क्यों हुआ ?

18 hrs.

श्री दलबीर सिंह (शहडोल): डिप्टी स्पीकर साहब, गोयल साहब ने किसानों के प्रति बडी हमदर्दी जाहिर की है। जब हम किसानों की बात करते हैं तो मैं समझता हूं तमाम हाउस किसानों के साथ हमदर्दी करता है। लेकिन किसानों की बात को अगर कोई समझता है तो शायद हमारी पार्टी, हमारा दल ज्यादा अच्छी तरह से समझता है। किसानों की बेहतरी के लिये क्या कदम उठाने जरुरी हैं, वह हम अच्छी तरह से जानते हैं। जहां तक और बातों का सवाल है, तो मैं समझता हूं कि एक जनरल क्रिटिसिज्म की बात है और मैं उस में नहीं जाना चाहता लेकिन गोयल साहब ने कुछ सवाल किये हैं। जो आंकड़े पहले इन्होंने जो सवाल किया था, उस के जवाब में हमने दिये थे, उन आंकड़ों के आधार पर इन्होंने कुछ और बातें पूछी हैं, कुछ रिटेंशन प्राइस के मुत्ताल्लिक और कुछ दूसरी चीजों के मुत्ताल्लिक और ये सब चीजों को शक की नजर से देखते हैं और इन्होंने कहा है कि इस में घपला भी है, करप्शन भी है, गवर्नमेंट भी इस में मिली हुई है, इस तरह की जो बातें इन्होंने कही हैं, उन को मैं रूल आउट कर के चलता हूं कि ये चीजे नहीं करनी चाहिए। आखिर सरकार का यह फर्ज है कि सब चीजों को वह देखें। प्राइस बढ़ी है और मैं मानता हूं कि प्राइस इंक्रीज हुई है और प्राइस बढ़ने के लिए जो फैक्टर्स होते हैं, उन सब को ध्यान में रखना पड़ता है। अगर प्राइजेज न बढ़ाएं तो फिर प्रोडक्शन कम होता है, प्रोडक्शन पर असर पड़े तो जितने किसान हैं, वे तबाह होते हैं। इसलिए प्राइस बढ़ाने का कोई सरकार को शौक नहीं है और न इस बात की खुशी है कि प्राइसेज बढाई जाएं लेकिन प्राइस बढ़ाने की जरूरत हो जाती है क्योंकि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, जिन की वजह से ऐसा होता है। दूसरी चीजों की प्राइस बढ़ने की वजह से प्राइस बढ़ानी पड़ती है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, सल्फर है और ये जो सारी चीजें जितनी भी इस के अन्दर इस्तेमाल होती हैं, उस की प्राइस बढ़ने से ऐसा किया जाता है। इनपुटस की प्राइसेज बढ़ने के बाद

[श्री दलबीर सिंह]

इस की प्राइस फिक्स करने का एक फार्मूला तैयार किया गया।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जो प्राइस का मामला है, डिस्ट्रीब्यूशन का मामला है, यह सारा मामला एग्री-कल्चर मिनिस्ट्री का है और हम ने उनसे इंफार्मेशन मांगी है और उस आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि जो रिटेंशन प्राइस की बात इन्होंने कही अगर आप सुनने के लिए थोड़ा सा सब्र रखें, तो उस के बारे में यह स्थिति है।

The manufacturers do not get any fortuitous benefit, as alleged by the Member, on the stocks lying with them at the time of increase in prices. The Retention Price Scheme administered by the FICC ensures, in the following manner, that no such fortuitous benefit accrues to the manufacturers.

Under the Retention Price Scheme, the FICC works out a "retention price" for each price-controlled product of a Company which would give the Company 12% post tax return provided the plants operate at specified levels of efficiency. This retention price varies from Company to Company, for the same product, because of differences in feedstock, process, investment costs etc. For example, the retention prices for urea vary between Rs. 1302/- and Rs. 2698/- per tonne.

The difference between the retention prices and the ex-factory realisation by selling the product at the statutorily fixed retail price is either paid to or recovered from the manufacturer. The ex-factory realisation is obtained by deducting the distribution margin from the notified retail price. For example, in the case of urea, the position on 10-7-81/was that, on a retail price of Rs. 2000/- per tonne, the ex-factory realisation would come to Rs. 1885/- per tonne. While the retention price varies from manufact urer to manufacturer, the ex-factory realisation remains the same for all of them. That is why where the retention prices is higher than the ex-factory realisation, the manufacturer gets the difference as a subsidy. On the other hand, where the retention price is lower than the ex-factory realisation, he manufacturer pays the difference to he Government. When the retail price of fertilizers is increased, the ex-factory realisation also increases correspondingly. Consequently, the subsideies payable are reduced and the amounts recoverable increase to that extent. To give a specific example, the retention price of urea of FACT, Cochin, was Rs. 2423/- per tonne on 10-7-1981. The ex-factory realisation on that date was Rs. 1885/- per tonne. The difference of Rs. 540/- per tonne was being given as subsidy to the Comapny. When the retail price of urea was increased to Rs. 2350/- per tonne with effect from 11-7-81, the ex-factory realisation went upto Rs. 2235/- per tonne. Consequently, the subsidy payable to the above unit came down by Rs. 350/- per tonne to Rs. 190/- per tonne w.e.f. that date.

The reduction in subsidy thus made is applicable not only to the production after that day but also to all the stocks held and owned on that day by the manufacturers whether in the factory or in their own warehouses or in transit from the factory to their field warehouses. Thus the manufacturers do not derive any benefit because of the increase in the retail prices of fertilizers.

So, Sir, this is the information. About the stocks, etc. he has asked what was the position of the stock. They are taken into account. They are assessed before fixing the price.

श्री कृष्ण कुमार गोयल: केवल यह बता दीजिए कि स्टाक कितना-कितना था? बेअरहाउसिज वगैरह में कितना था, डीलर्स के पास कितना स्टाक था? इसको दो महीने हो चुके है।

श्री दलबीर सिंह: मेंयुफेक्चररस के पास सारा का सारा स्टाक देखा गया है, सारा का सारा असेस किया गया है। लेकिन डीलर्स तो देश के अंदर लाखों के अंदर हैं। उनके पास स्टाक का अंदाजा लगाना कठिन है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि मयुफेक्चररस को कोई फायदा नहीं हुआ है, हां हो सकता है कि डीलर्स को फायदा हुआ हो? यह इंफर्मेशन अभी हमारे पास नहीं है।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना): उपाध्यक्ष जी, यह प्रश्न संख्या 355 के जवाब में चार कारखानों के उत्पादन

की बात मैंने नोट की है। चारों कारखानों का उत्पादन अगर देखा जाए तो उन कारखानों के उत्पादन में कमी आयी है। सब से पहले मैं आपको सिन्दरी की बात बताता हूं जो कि मेरे सूबे में है।

सिंदरी में 1981 के तीन महीनों में उत्पादन इस प्रकार था—

अप्रैल में 21.388 टन

मई में 12,815 टन

जून में 8,175 टन

इसी प्रकार गोरखपुर में अप्रैल में 19,240 टन, मई में 11,412 टन और जून में 10,750 टन था।

रामगुण्डम में अप्रैल में 8,106 टन मई में 9,471 टन और जून में 3,480 टन था।

तालचर में अप्रैल में 6 000 टन मई में 5,667 टन, और जून में 4,475 टन था।

इन चारों कारखानों में यूरिया के उत्पादन में कमी होती गयी है। मैं जानना चाहता हूं कि इनके उत्पादन में कमी होने के क्या कारण हैं? क्योंकि उत्पादन थोड़ा कम नहीं हुआ काफी कम हुआ है।

दूसरे सिंदरी के बारे में मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह बात सच है कि पहले सिंदरी कारखाना कोयले के आधार पर चलता था और क्या अब कारखाना तेल पर आधारित हैं जिसकी वजह से उसमें तेल की नियमित आपूर्ति न होने की वजह से कारखाना महीनों महीनों बंद रहता है और इन दिनों भी वह बंद है?

वहां की जानकारी इसलिए मुझे है, क्योंकि मैं वहां का रहने वाला हूं और इसका उत्पादन बहुत घटा है। खबर है कि पिछले कई महीने से कारखाना बंद है। क्या सरकार मुनासिब नहीं समझती कि तेल समय पर नहीं मिलता और कोयले का भंडार सिंदरी के आसपास बहुत है तो उस भंडार को देखते हुए तेल आधारित कारखाने को फिर से कोयला आधारित कारखाने के रूप में परिवर्तित करके उत्पादन शुरू किया जाए।

अंत में एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से संबंधित है, अगर इसकी जानकारी आपको हो तो अवश्य जवाब दीजिए। हमारे देश में सीमांत और लघु कृषकों की संख्या सबसे ज्यादा है। दिनांक 11-7-81 को आपने यूरिया के दाम 2000 से बड़ा कर 2350 रुपए प्रति टन कर दिये। क्या इसका असर निश्चित रूप से छोटे किसानों की क्रय शक्ति पर नहीं पड़ेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारे देश के कितने प्रतिशत लघु और सीमांत किसान यूरिया का इस्तेमाल करते हैं और वे ज्यादा इस्तेमाल कर सकें, क्या इसके लिए कोई योजना आपने बनाई है?

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री शास्त्री जी ने हमारे देश के महत्वपूर्ण कारखानों में यूरिया के उत्पादन घटने के बारे में विस्तार से बताया है, इसलिए मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन खासतौर पर गोरखपुर के खाद के कारखाने के बारे में कहना चाहता हूं, जिसमें केवल यूरिया का ही उत्पादन होता है और यह प्रश्न भी यूरिया के उत्पादन से संबंधित है, इसलिए मैं यह बताना चाहता हूं कि गोरखपुर खाद कारखाने में यूरिया के उत्पादन की क्या स्थिति है।

[श्री हरिकेश बहादुर]

इस संबंध में मैंने एक प्रश्न माननीय मंत्री जी से पूछा था और माननीय मंत्री जी ने दिनांक 8 सितम्बर 1981 को जवाब में जो आंकड़े दिए थे वे इस प्रकार से – वर्ष 1980-81 के अप्रैल माह में 26.3 प्रतिशत उत्पादन हुआ, मई में 31.3 प्रतिशत, जून में 33.3 प्रतिशत, जुलाई में 29.1 प्रतिशत, अगस्त में 52.7 प्रतिशत उत्पादन हुआ। नवम्बर में 58.1 प्रतिशत, दिसम्बर में 38.5 प्रतिशत, जनवरी में 61.3 प्रतिशत, फरवरी में 47.8 प्रतिशत वहां पर उत्पादन हुआ। इस प्रकार से 100 प्रतिशत उत्पादन के स्थान पर 25, 26, 30, या 35 प्रतिशत उत्पादन इस कारखाने में हुआ।

उत्पादन की इस कमी के बारे में आम तौर पर बताया जाता है कि बिजली कम दी जाती है, पावर कट होता है, इसलिए उत्पादन नहीं हो पाता दूसरा टेंस इंडस्ट्रियल रिलेशंस लेबर अनरेस्ट की वजह से उत्पादन कम होता है और नान एवलेबलिटी आफ फीड स्टाक, रा-मेटीरियल की कमी, आदि कारण बताए जाते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि गोरखपुर कारखाने में बिजली की कमी नहीं हुई, बिजली की कमी की बात कहना गलत है। जब बिजली की कमी का सवाल सामने आया था तो बिजली का एक पावर यूनिट बनाने के लिये सरकार तैयार थी कि गोरखपुर फर्टीलाइजर कारखाने को यह पावर यूनिट दे दिया जाए। लेकिन वहां के प्रबन्धकों ने विरोध किया। अगर बिजली की कमी का सवाल था तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब सरकार इस बात के लिए तैयार थी कि वहां पर बिजली का एक कैप्टिव प्लांट लग जाए तो क्यों वह विरोध कर रहे थे? स्थिति बिल्कुल दूसरी है। गोरखपुर खाद कारखाना भ्रष्टाचार और गोलमाल का पूरा अड्डा बना हुआ है। वहां लापरवाही से काम होता है। कोई व्यक्ति भी ईमानदारी के साथ इन चीजों का अध्ययन करेगा तो इसी नतीजे पर पहुंचेगा। कारण बता दिए जाते हैं उत्पादन की कमी के लेकिन मुख्य कारण जो लापरवाही और भ्रष्टाचार का है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया जाता है।

कोयले की बात कही जाती है और कहा जाता है कि ठीक कोयला नहीं मिल रहा है, ठीक ढंग का नहीं मिल रहा है। लेकिन वास्तविकता यह है कि अच्छी किस्म का कोयला आता भी है तो बनारस में उसको अनलोड कर दिया जाता है और फिर ट्रकों पर खराब किस्म का कोयला लाद कर ले जाते हैं। इसका कारण यह है कि कुछ अधिकारियों के बीच मिली भगत है जिन में चीफ प्रोडक्शन इंजीनियर है, मैटीरियल मैनेजर आदि हैं। अखबारों में अकसर इस बारे में आता रहता है। ये लोग ट्रक से— कोयला मंगाते हैं। काफी पैसे का इस में गोलमाल होता है। इसकी जांच होनी चाहिये और पता लगाया जाना चाहिये कि क्या यह सही है या गलत कि अच्छे कोयले की जगह खराब कोयला, ट्रकों से ढो कर कारखाने में लाया जाता है? अगर अच्छा कोयला आता है तो फिर खराब कोयला ट्रकों से कैसे वहां पहुंच जाता है। खराब कोयले की वजह से स्टीम जैनरेशन, भाप का उत्पादन भी कम हो जाता है और खाद का उत्पादन भी उसके परिणामस्वरूप कम होने लगता है। यह स्थिति आज वहां पर कोयले की आपूर्ति के सम्बन्ध में है। तमाम भ्रष्टाचार फैला हुआ है।

मैं अखबार की एक कटिंग पढ़ कर आपको सुनाना चाहता हूं । बीस हजार टन कोयले का भंडारण होने के बाद भी कारखाने में करनपुरा कोल फील्ड से आठ हजार टन कोयला ट्रक से मंगा कर 24 लाख रुपये भाड़े के रूप में भुगतान किया गया है । इस बात की जांच होनी चाहिये । इस प्रकार से भ्रष्टाचार वहां हो रहा है । ठेकेदारों के जरिये कोयले के ट्रांस्पोर्टेशन में गड़बड़ी की जाती है ।

चोरी का जहां तक सवाल है मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है उससे ऐसा लगता है कि इस कारखाने के अधिकारियों ने आपको सही सूचना नहीं दी है । अभी कुछ दिन पहले इस कारखाने से स्टीम जैनरेशन प्लांट से काफी मात्रा में सामान चोरी चला गया । उसके बारे में जो उत्तर आपने दिया है उस में आपने कुछ नहीं कहा है । वहां अकसर चोरियां होती है । ऐसा विश्वास किया जाता है कि बड़े-बड़े अधिकारियों का उस में हाथ होता है ।

उत्पादन में जो कमी है वह तो अपनी जगह पर है ही । दूसरी बात यह हैं कि यूरिया की थैलियों के अन्दर जो यूरिया भरा जाता है उसकी मात्रा तोल में कम होती है । नतीजा यह होता है कि किसान को कम मात्रा में खाद मिलती है और उसको भारी नुकसान होता है ।

कारखाना तरह तरह के भ्रष्टाचारों का अड्डा बना हुआ है । आपको चाहिये कि आप इसकी जांच कराएं । यह आज की बात नहीं है । हमेशा से यह हो रहा है । वहां के आम लोग और मजदूर यूनियन के लोग इस सवाल को उठाते रहते हैं । चीफ इंजीनियर प्रोडक्शन के बारे में शिकायतें आम लोगों ने की हैं । मजदूर नेताओं की हत्या तक करने की धमकी उनकी तरफ से दी गई है । इसके बारे में मैंने जब पैट्रोलियम मंत्री को लिखा तो उन्होंने उत्तर दिया कि इसकी जांच कराई गई है और ऐसी कोई बात नहीं है । लेकिन हकीकत यह है कि जिस आदमी के ऊपर एक मजदूर यूनियन के एक नेता ने, सर्वोदय श्रमिक संघ के नेता ने आरोप लगाया था (जिसे धमकी दी गई थी) उस आदमी से किसी ने जा कर पूछा तक नहीं, जांच करने वाली मशीनरी ने जा कर उससे पूछा तक नहीं कि किस ने उसको धमकी दी है । इस खाद कारखाने से जो जवाब आपके पास आता है उसको आप ही हमारे पास भेज देते हैं ।

कई वर्षों से यह कारखाना घाटे में चल रहा है । देश की अर्थव्यवस्था के लिए यह बहुत ही हानिकर साबित होने जा रहा है । किसानों का नुकसान हो हो रहा है । उनका ही नहीं पूरे राष्ट्र का इससे नुकसान हो रहा है । मेरी मांग है कि इस कारखाने में उत्पादन की कमी के वास्तविक कारण क्या हैं इसकी आप जांच कराएं ।

क्या आप आश्वासन देंगे कि सचमुच में इस कारखाने में उत्पादन को बढ़ाने के लिए आप प्रयास करेंगे और वहां पर जिन लोगों के ऊपर गम्भीर आरोप हैं जिन का जिक्र मैंने किया है, क्या आप उसकी जांच करवाएंगे ?

श्री दलबीर सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, माननीय हरीकेश जी ने गोरखपुर और सिंदरी के बारे में कहा और शास्त्री जी ने तालचेर और रामगुंडा के बारे में कहा कि इसके उत्पादन में कमी आयी है । उसके क्या कारण है शास्त्री जी को पता है, वह समझते है । लेकिन क्योंकि कमी है, कारण हैं इसलिए

[श्री दलबीर सिंह]

मैं उसको कहना जरूरी समझता हूं । हमेशा वह इस बात को उठाते हैं । मैं जानता हूं कि उनके मन में भावना अच्छी है इसीलिए उसका जिक्र वह करते हैं। वह चाहते हैं कि इनका उत्पादन बढ़े । हम उसका आदर करते हैं । माननीय हरीकेश जी ने कहा, इसके अन्दर अभी भी 2 5 परसेंट पावर का कट है, और इक्विपमेंट प्रोवलम थी । वह अब ठीक हो रही है ।

श्री हरिकेश बहादुर : दो साल पहले की बात बता रहा हूं, सरकार बनाने के लिये तैयार थी ताकि गोरखपुर कारखाने को कैप्टिव पावर प्लान्ट दे दिया जाय। लेकिन वहां के जनरल मैनेजर को कहा इसकी जरूरत नहीं है । रिहन्ड, मिर्जापुर से बिजली लेते हैं । अगर बिजली की परेशानी हैं तो सरकार तैयार थी यूनिट देने के लिये। तो क्यों नहीं ले रहे हैं ?

श्री दलबीर सिंह : फ्यूल आयल असम से आता था, लेकिन वहां जो हालात रहे उसकी वजह से सप्लाई में फर्क पड़ा, पूरी सप्लाई नही हुई । इसलिए उत्पादन में कमी आयी । तो उत्पादन की कमी को सरकार कंसर्न से देख रही है, और कोशिश करेंगे ।

रामगुंडम और तालचेर प्रोजेक्ट्स नए प्रोजेक्ट्स हैं और अभी एक तजुर्बा है कोल का । और उन्होंने कहा कि कोल के ऊपर आधारित कारखाना होना चाहिये ।

श्री रामावतार शास्त्री : सिन्दरी में पहले कोल बेस्ट था । अभी आयल बेस्ट हो गया । इसकी कोई जरूरत नहीं थी जब कि वहां कोल ज्यादा है ।

श्री **दलबीर सिंह** : सिन्दरी के अन्दर अब इम्प्रूवमेंट हो रहा है । सारा उसका मोडनाईजेशन चल रहा है और सुधार हो रहा है ।

भ्रष्टाचार की बहुत सी बातें हरीकेश जी ने अगर कोई खास इल्जाम है तो जांच करवा लेंगे । ताकि और जो चीजें उन्होंने सुझाव के रूप में कहीं हैं वह ध्यान में रखेंगे । लेकिन भ्रष्टाचार के विषय में जो आतें आपकी नोटिस में हैं तो आप हमें बतायें हम जांच करा लेंगे ।

और कोई विशेष बात नहीं हैं । हम कोशिश करेंगे किसी तरह से इनका उत्पादन बढ़े । और छोटे किसान की जहां तक बात हैं वह एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से सभी आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं हैं । जो शास्त्री जी ने सवाल पूछा है उसके आंकड़े अगर शास्त्री जी कहेंगे तो हम मंगा देंगे ।

MR. CHAIRMAN : The House stands adjourned to re-assemble tomorrow at 11 A.M.

18·24 hrs.

The Lok Sabha adjourned till Elevem of the Clock on Thursday, September, 17, 1981/ Bhadra 26, 1903 (Saka)

GMGIPND—2011 LS—31-10-81—890.